विधान सभा संबंधी कार्य/अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)

विधान सभा कार्य/तत्काल

क्रमांकः प.11(1)विधि/2/2018 जयपुर, दिनांकः 27 JUN 2018

परिपत्र

विषयः–चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के आगामी–सत्र (ग्यारहवां–सत्र) में लिये जाने वाले विधायी कार्यों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव महोदय की ओर से जारी इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 08.06.2018 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में समस्त प्रशासनिक विभागों से पुनः निवेदन है कि चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का आगामी–सत्र **(ग्यारहवां–सत्र)** माह अगस्त, 2018 के मध्य में प्रारम्भ होने की प्रबल सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे विधेयकों, जिन्हें उक्त सत्र में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है, को अन्तिम रूप दिये जाने संबंधी कार्य को राजस्थान कार्यविधि नियमों के नियम 38 से 52 तथा राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैन्यूअल, 1999 के नियम 55 में विहित प्रावधानों के अनुरूप समय पर पूर्ण करने का श्रम करावें।

उपर्युक्त निर्देशों के अनुसरण में पुनः निवेदन है कि विधेयक प्रस्तावों के संबंध में नियमानुसार यथावांछित आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर मंत्रिमण्डलीय आज्ञा सहित विधेयकों के प्रस्ताव मय उद्देश्यों और कारणों का कथन तथा यथा–आवश्यक वित्तीय ज्ञापन तथा प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन के प्रारूपों की हिन्दी एवं अंग्रेजी की अधिप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर सम्बन्धित पत्रावली **दिनांक 31.07.2018 तक आवश्यक रूप से विधि (ग्रुप–2) विभाग में** भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे विधेयक प्रस्तावों को विधान सभा के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किये जाने हेतु सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से दस दिवस पूर्व विधान सभा सचिवालय को भिजवाया जाना सम्भव हो सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

27-6-18

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशेषाधिकारी (एस.), माननीय मुख्यमन्त्री महोदया (विधि विभाग)।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मन्त्री महोदय, विधि/संसदीय कार्य विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिवगण को ई–मेल करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

27/6/18

विशिष्ट शासन सचिव